.... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
15/9/25	पत्रावली पेश हो वकील फरीकान उप० हो मिसल वास्ते बहस में पत्रा० दिनांक 17/11/25 को पेश हो	
17/11/25	पत्रावली पेश हो वकील पक्षकारान् उप० बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश में दिनांक 5/12/2025 को पेश हो	
5/12/25	उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पाडली तह0 पीपल्दा में स्थित भूमि ख0नं0 63 रकबा 0.58है0, ख0नं0 65 रकबा 0.55है0, ख0नं0 26 रकबा 3.05 में से 1.27है0 में प्रार्थी का मुताबिक तहसील रिपोर्ट कब्जा नहीं है तथा विवादित आराजी के खसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल से मिलान नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने से किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को नहीं हो रही है। सुविध का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	